will improve sound accousticity and airconditioning; and

(c) whether his Ministry has approached the Indian Navy to shift their gate so that some space may be available for parking purpose?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI HARMOHAN DHAWAN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir. ....

Review of Assessed amounts under DPEA

646. SHRI K. G. " MAHESWARAPPA: SHRIMATI SATYA BAHIN:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMCALS be pleased to state:

(a) on what basis his Ministry ordered review of amounts assessed under DPEA;

(b) what are the names of the companies which have gone to courts against the amounts assessed after review; and

(c) what is the decision of the courts in each case?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA **PRAKASH MTALAVIYA):** (a) In view of receipt of various complaints against the findings of the Special Team and the amounts assessed against some companies it was decided to review the amounts assessed against various companies.

(b) Ms Hoechst India Ltd., and M/s Glaxo Labs., India Ltd. are the only companies who have gone to the Court after the liabilities assessed or the basis of review were communicated to them.

(c) The Courts have granted interim stays against recoveries to both the parties and the Writs ar$_e$ yet to be admitted. The matters are, therefore, sub-judice.

इलैक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के डाक्टरों को मान्यता प्रदान करना

647. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इन्डिया इलेक्ट्रो-होम्योपैथी स्टूडेन्टस एण्ड डॉक्टर्स फ़ेडरेशन, पुणे तथा इलेक्ट्रोपैथी मेडिकोस ऑफ़ इंडिया, जलगांव (महाराष्ट्र) ने केन्द्र सरकार को इलेक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली के डाक्टरों को प्रेक्टिस करने की अनुमति दिये जाने तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिये कोई अभ्यावदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री और उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलई चौधरी) (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदकों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति मांगी है। इस पद्धति को मान्यता देने या न देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए इलेक्ट्रोपैथी/इलेक्ट्रो-होम्योपैथी पर सितम्बर, 1988 में स्थापित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में, जो दिसम्बर 1990 में प्रस्तुत की गई थी, इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने की सिफ़ारिश नहीं की है, किन्तु यह सुझाव दिया कि :

(i) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद इस बात पर विचार करे कि क्या होम्योपैथी के समान होने के कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को होम्योपैथी के अंतगत एक विषय के रूप में पढ़ाया जा सकता है, (ii) परिषद इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की मौजूदा